न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल –। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/09/2019

1. पॉचूराम पुत्र मांगीराम मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.......वादी

बनाम

1. भगवान सहाय पुत्र स्व0 गोपाल
2. राजूलाल पुत्र स्व0 गोपाल

   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 542 रकबा 2.30 कुल किता 1 कुल रकबा 2.30 हैक्टेयर जो वाकै ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है उक्त भूमि में केवल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा ही विवादित है उक्त भूमि ही उक्त वाद में वादग्रस्त भूमि है। वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 गोपाल से वादी ने 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.05.2014 को दोनो विक्रय पत्र के द्वारा कय की है जो कि उक्त विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 907 में पृष्ठ संख्या 130 क्रम संख्या 2014067004341 पर पंजीबद्ध किया गया एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3221 के पृष्ट संख्या 219 से 226 पर चश्पा किया गया एवं इसी प्रकार विक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 907 में पृष्ट संख्या 131 क्रम संख्या 2014067004342 पर पंजीबद्ध किया गया एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3224 के पृष्ठ संख्या 227 से 234 पर चश्पा किया गया। इस प्रकार उक्त दोनो विकय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 गोपाल द्वारा वादी के हक में निष्पादित किया गया तब से ही वादी उक्त भूमि पर बाहैसियत मालिक स्वामी काबिज काश्त है और लगातार उसका हर प्रकार से उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त भूमि को कय करने के पश्चात जब वादी ने विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि का नामान्तकरण खुलवाने

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

हेतु राजस्व कर्मचारियों से निवेदन किया तो पटवारी महोदय ने वादी से कहा कि खातेदार गोपाल की मृत्यु होने के कारण उनकी विरासत का नामांतकरण उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में खोल दिया गया है जिसका अंकन जमाबंदी में इन्द्राज हो चुका है जिस कारण उक्त भूमि का नामान्तकरण नहीं खुल सकता। न्यायालय से ही आदेश लेकर आओ तब ही उक्त भूमि का विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोलेगें। तब जाकर वादी ने उक्त वादग्रस्त आराजी की नकले निकलवायी और माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत कर दिया। वाद कारण दिनांक 09.02.2019 को जब प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खुलवाने से इन्कार करने पर उत्पन्न होकर लगातार जारी है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 542 रकबा 2.30 कुल किता 1 कुल रकबा 2.30 हैक्टेयर जो ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित का विक्रय पत्रों दिनांकित 01.05.2014 के आधार पर 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जावें।

वादी द्वारा वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ विक्रय पत्र की फोटो प्रति व जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड एडी करवाई गई लेकिन प्राप्ति रशीद प्राप्त नही होने पर तामील की प्रज्जमसन मानते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्लू–1 पांचूराम पुत्र मांगीराम मीणा का पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली में बहस वादपत्र वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमांबदी संवत् 2071–2074 वाकै ग्राम दांतली पटवार हल्का दांतली भू0अ0नि0 क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 542 रकबा 2.3000 है0 का खातेदार काश्तकार गोपाल पुत्र रामदेव था। व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात विक्रय पत्र क्रमांक 170 दिनांक 01.05.2014 तथा क्रमांक 171 दिनांक 01.05.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गोपाल पुत्र रामदेव ने उक्त विक्रय पत्रों के जरिये वादग्रस्त भूमि 542 रकबा 2.3000 हैक्टेयर में अपना हिस्सा 1/2 का बेचान व कब्जा वादी के पक्ष में कर दिया है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने उक्त भूमि का नामांतकरण वादी के पक्ष में नही खोला।

उपरोक्त विवेचन व विक्रय पत्रों के आधार पर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 542 रकबा 2.30 हैक्टेयर में 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर खसरा नंबर 542 रकबा 2.30 हैक्टेयर वाकै ग्राम दांतली पटवार हल्का दांतली भू0अ0नि0 क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि में 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अमल–दरामद करें। इस आशय की डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 13.03.2020 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I** (आर.ए.एस.)

पांचुराम **बनाम** भगवान सहाय वगै.

दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/2019/09

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर खसरा नंबर 542 रकबा 2.30 हैक्टेयर वाकै ग्राम दांतली पटवार हल्का दांतली भू0अ0नि0 क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि में 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अमल–दरामद करें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् ....

खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की

तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.03.2020 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ......सहायक कलक्टर

ओहदा ....जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा	/	/
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय